राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायतीराज प्रारम्भिक शिक्षा)

क्रमांक एफ 915(77)परांप्राशि/2015/पार्ट–1/574 जयपुर दिनांक – 09/08/2018

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद समस्त।

विषयः– तृतीय श्रेणी प्राथमिक और उच्च प्राथमि विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा 2012 के अन्तर्गत कार्यरत अध्यापकों का अध्यापक भर्ती परीक्षा 2013 में चयन होने पर राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 24,26 के अन्तर्गत वेतन निर्धारण बाबत।

संदर्भः– विभागीय आदेश क्रमांक 978 दिनांक 02.09.2015 एवं विभागीय पत्रांक 1224 दिनांक 04.12.2017 के क्रम में स्पष्टीकरण।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि तृतीय श्रेणी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा 2012 मे नियुक्त अध्यापक जिनके द्वारा तृतीय श्रेणी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा 2013 के अन्तर्गत अपने गृह जिलो/समीपस्थ/अन्य जिलो में नियुक्त होने पर उनके द्वारा अपनी पूर्व की सेवाओं के परिलाभ यथा वेतन नियमितिकरण/वेतन संरक्षण/वेतन वृद्वि की मांग के क्रम में विभागीय संदर्भित आदेशो के विरूद्व माननीय उच्च न्यायालय में याचिकाएँ दायर की गई। इस संदर्भ में एस0बी0सिविल रिट याचिका संख्या 13544/2017 वीरेन्द्र सिंह बनाम राज0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.01.2018 के ऑपरेटिव अंश निम्न प्रकार हैः–

"In view of the specific provision i.e. second proviso to rule 24 RSR as well as the judgement of this court in the case of Praveen Kumar Yadav (supra) and Chandra kala Saini (supra), the stand taken by the respondents in order dated 2.9.2015(Annex.R/1) and 4.12.2017 (Annex.R/2), is without any basis.In view thereof, the writ petitions filed by the petitioners are allowed as the petitioners have already been relieved pursuant to the interim orders passed by this court, the said interim orders passed by this court directing to relieve the petitioners are made absolute.

In the further directed that the respondents while dealing with the case of the petitioners pertaining to their pay fixation etc. would follow the provisions of Rules 24 and 26 of the RSR as per law.

In case where the petitioners have been relieved provisionally under the direction of this court , the Authorities would pass appropriate orders pertaining to relieving of the petitioners allowing their last pay certificate (L.P.C.) where they were serving earlier."

उक्त निणर्य के क्रम में विभागीय स्थाई समिति की बैठक दिनांक 21.03.2018 में लिये गये निर्णय अनुसार राज0सेवा नियम 1951 के नियम 24 एवं 26 की व्याख्या वित्त विभाग द्वारा निम्न प्रकार की गई हैः–

''राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 24 के उपरोक्त प्रावधान के अनुसार पूर्व से राजकीय सेवा में (किसी भी राजकीय विभाग के अधीन) नियमित रूप से नियुक्त राज्य कर्मचारी की दिनांक 20.01.2006 या इसके पश्चात सीधी भर्ती से प्रोबेशनर ट्रेनी के रूप में नियुक्ति होने पर ऐसे कर्मचारी को प्रोबेशनर ट्रेनी–अवधि पद के लिए नियत पारिश्रमिक अथवा पूर्व पद के अपने स्वंय के वेतनमान में वेतन जो भी लाभप्रद हो,प्राप्त करने का विकल्प दिया गया है। प्रोबेशनर ट्रेनी अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 26 के तहत वेतन निर्धारण किये जाने का प्रावधान है।

पंचायतीराज विभाग के अधीन सभी जिला परिषदों में तृतीय श्रेणी अध्यापक पद पर नियुक्ति राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के तहत की गई है। अतः एक जिला परिषद से दूसरी जिला परिषद में सीधी भर्ती से नियुक्ति पर,पूर्व से नियमित रूप से नियुक्त कर्मचारी के लिए राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 24 व 26 के प्रावधानो को प्रभावी माना जाना चाहिये।''

प्रकरण कार्मिक एवं वित्त विभाग की राय के पश्चात पुनःस्थाई समिति की बैठक दिनांक 31.07.2018 को विचारार्थ रखे जाने पर समिति सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से प्रकरण में अपील दायर नही करने का निर्णय लिया गया है।

अतः तृतीय श्रेणी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा 2012 में नियुक्त अध्यापकों द्वारा तृतीय श्रेणी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा 2013 में अन्यत्र जिले में चयनोपरान्त कार्यग्रहण करने वाले अध्यापकों के मामलो में विभागीय पत्रांक 978 दिनांक 02.09.2015 एवं पत्रांक 1224 दिनांक 04.12.2017 को अतिक्रमित करते हुए निम्न निर्देश जारी किये जाते हैः–

1. शिक्षक भर्ती 2012 के अन्तर्गत नियुक्त जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति शिक्षक भर्ती 2013 के अन्तर्गत हुई है,उन्हे पूर्व नियोक्ता द्वारा कार्यमुक्त किया जायेगा एवं नये नियोक्ता द्वारा कार्यग्रहण की अनुमति देय होगी। कार्यग्रहण में देरी मान0 न्यायालय द्वारा तत्समय विद्यालयों के पुनः खुलने तक शिथिलनीय की गयी थी।
2. शिक्षक भर्ती 2012 में नियुक्ति उपरान्त शिक्षक भर्ती 2013 में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की वरिष्ठता भर्ती परीक्षा 2013 में उनके द्वारा प्राप्त मेरिट क्रमांक के अनुसार संगणित की जायेगी एवं अभ्यर्थियों की पूर्व सेवाऐ वरिष्ठता के लिहाज से संगणित नही की जायेगी।
3. शिक्षक भर्ती 2012 में नियुक्ति उपरान्त शिक्षक भर्ती 2013 में चयनित होने वाले याचिकार्थी, जिन्हे माननीय न्यायालय के अन्तरिम आदेश के अधीन कार्यमुक्त किया गया है, उनके सम्बन्ध में पूर्व नियोक्ता द्वारा अन्तिम वेतन प्रमाण पत्र (L.P.C.) जारी किया जायेगा।
4. ऐसे कार्मिकों को प्रोबेशनरी ट्रेनी अवधि पद के लिए नियत पारिश्रमिक अथवा पूर्व पद कें अपने स्वंय के वेतनमान में वेतन जो भी लाभप्रद हो,प्राप्त करने का विकल्प है। प्रोबेशनर ट्रेनी अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 26 के तहत वेतन निर्धारण किये जाने का प्रावधान है।

उक्तानुसार पालना सुनिश्चित की जावें।

यह निर्देश वित्त विभाग की आई.डी.संख्या 101803088 दिनांक 25.06.2018 द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी किये जाते है।

(कुंजी लाल मीणा)
शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ठ सहायक,माननीय मंत्री,महोदय ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
2. विशिष्ठ सहायक,माननीय शिक्षा राज्यमंत्री(स्वतंत्र प्रभार) पंचायतीराज विभाग।
3. निजी सचिव, अति0मुख्य सचिव वित्त विभाग राज0।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव कार्मिक विभाग राज0।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्राविपंराज विभाग,जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव,स्कूल शिक्षा विभाग,जयपुर।
7. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग,जयपुर।
8. अति0मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद,समस्त।
9. रक्षित पत्रावली।

(मोहम्मद अबूबक्र)
उप शासन सचिव एवं
उपायुक्त (प्रशिक्षण)